

SHRI DEREK O'BRIEN: With due respect, I want to say that I have asked four questions, he has answered only two of them. Answer the other two questions.

MR. CHAIRMAN: I am telling you to focus on the issue itself.

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, the Member wants clarification from the Minister.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, about Nation with Namo part, I will make my enquiry and then revert to him separately. Sir, what is important? If India's digital profile is rising. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: But I have raised four questions.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Whatever I have understood, I have replied. Now, with regard to the other point, we can have a political debate on this point *ad nauseam*. I will have one view, you will have one view that is what democracy is all about and if we can have this debate on the floor of the House, why should we deny Indians to have this debate on social media. That is the larger question involved. That freedom we need to acknowledge. Sir, the other measures, which I have already outlined in my speech, and it is there. Sir, one last question which Shri Ghulam Nabi ji raised. I take your point. The concerned Minister has explained. It is also a public statement. I think, let us leave it these because if that is the question to be considered, I also remember the late Prime Minister as saying "जब बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है" in the case of 1984 riots. No one condemns that.

MR. CHAIRMAN: Let us close it now.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Let us not do like that. It is a serious debate. Let us acknowledge that.

GOVERNMENT BILLS

The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Bill, 2018

MR. CHAIRMAN: Now, let us take up The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Bill, 2018. Shri Thaawarchand Gehlot to move a motion for consideration of the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Bill, 2018.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, मुझे मंत्री जी से एक बात पूछनी है।
...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अभी नहीं। बाद में ...(व्यवधान)...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुत निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्याय (संशोधन) विधेयक, 2018 पर जो वर्ष 1999 के अधिनियम में संशोधन के लिए है, पर विचार किया जाए।"

[उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) पीठासीन हुए]

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, before the Minister moves the Bill, there is an issue, which. ...(Interruptions)...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI VIJAY GOEL): Sir, let him introduce the Bill first.

SHRI ANAND SHARMA: All right.

श्री थावर चन्द गहलोत: माननीय सभापति महोदय, जिन categories का मैंने उल्लेख किया है, उन स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के लिए 1999 में एक न्यास बनाया गया और उस न्यास में प्रावधान किए गए। वह न्यास इस category से संबंधित लोगों के कल्याण की और उनके सशक्तीकरण की योजनाओं को कार्यान्वित करने का काम करता है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इस न्यास ने इन वर्गों से संबंधित लोगों के हित में बहुत सारी कार्ययोजनाएं, विशेषकर दस योजनाएं बनाई और उनका सही ढंग से सशक्तीकरण करने की दिशा में कारगर कदम उठाए हैं।

सभापति महोदय, अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पहले जो नियम बने हैं, कायदे-कानून बने हैं, उसमें जो शर्तें थीं, वे अत्यधिक कठोर थीं। इसकी योग्यता का दायरा बहुत अधिक क्वालिफिकेशन की मांग करता था, अतः इस कारण से अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाता था। 2006 में श्रीमती नटराजन इसकी अध्यक्ष बनीं। इस न्यास के अध्यक्ष का कार्यकाल और सदस्यों का कार्यकाल तीन साल के लिए होता है। उसकी धारा 4 और 5 में यह शर्त थी कि जब तक अध्यक्ष का सक्सेसर नहीं चुना जाएगा, उसका उत्तराधिकारी नहीं चुना जाएगा, तब तक वे पद पर बने रहेंगे। इस कारण से ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आप मूव कर दीजिए, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर दूसरे मेम्बर्स कुछ बोलने वाले हैं। आपने introductory जो बोल दिया है, उतने पर ही कन्क्लूड कर लीजिए और मूव कर दीजिए।

श्री थावर चन्द गहलोत: हमने उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए इसकी धारा 4 और 5 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। मेरा अनुरोध है कि उन पर विचार किया जाए और उसे पारित किया जाए।

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Yes, Mr. Anand Sharma, what do you wish to say?

SHRI ANAND SHARMA: Hon. Vice-Chairman, Sir, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Bill, which has been brought by the Minister, seeks to amend the Act which was first passed in the year 1999.

Sir, in our country, there is a very large number of people, in millions, who are suffering either from autism or cerebral palsy or mental retardation or multiple disabilities, and, that is why, the Parliament enacted this Act to set up a National Trust. The Parliament also signed the CRPD, and, this House, in fact, took the initiative in passing the Right of Persons with Disabilities Act in December, 2016.

When the Minister brought this amendment, we initially thought that this Bill would further strengthen the National Trust to ensure that it functions in a manner that those who need care, attention, compassion and support of the society, receive so. Unfortunately, it does not do that.

Sir, here, I would like to place something on record. Sir, I have consulted various institutions, the national institutes, right from Bangalore to Mumbai to Delhi, which deal with these issues, and I have been informed that no one has been consulted. There have been no consultations with stakeholders. What the Minister says is that only two sections have to be amended. For the benefit of the House, let me read it out. Sub-Section 4 of Section 4 of the existing Act says, "The Chairperson and Members of the Board of National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities shall hold office for a term of three years from the date of his appointment or until his successor, — it should be gender neutral though — shall have been duly appointed, whichever is longer." Similarly, sub-Section 1 of Section 5, which they seek to amend, relating to the resignation of the Chairperson and the members, provides that the Chairperson shall continue until the appointment of the successor is made by the Central Government. This is the existing provision so that it is not headless, the Members are there and the Chairperson is there. Now, what does the Statement of Objects and Reasons say? I am seeing this for the first time. I have been in

[Shri Anand Sharma]

Parliament for long. The House must take note of what has been drafted and presented before this august House. It says, "In the past, it has been witnessed that despite repeated efforts to fill up the post of the Chairperson within the stipulated period, no suitable candidate could be found to propose for appointment." Sir, we are a country of 130 crores. And now what does it propose to do? It proposes that the Central Government may, in case of a casual vacancy, that is, if nobody is selected — I will come to that, because in this country no suitable person has been found for four years — in the office of the Chairperson, by order, in writing, direct an officer of appropriate level to perform the functions of the Chairperson. Now, can the officials, who have not been trained, who have no specialisation, no comprehension, no sensitivity, deal with children or persons who are suffering from Autism, Spectrum Disorder, Asperger Syndrome, Cerebral Palsy, Mental Retardation? We thought कि मिनिस्टर इस सदन के सामने कुछ ऐसा लाएंगे, जिससे बेहतरी हो। यह तो आपने बेहतरी की जगह विपरीत दिशा की तरफ जाने की बात कर दी। शायद यह बात मंत्री जी के संज्ञान में नहीं लाई गई कि इसमें पहले यह था कि जिनको अनुभव हो, उनको लिया जाएगा। वह सब चीज अब हटाई जा रही है। साथ में आपने जो कहा है और जैसा मैंने अभी पढ़ कर सुनाया, यह न्यायोचित नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को जानकारी के लिए बता रहा हूं कि यह सोचना गलत है। आप Statement of Object and Reasons में यह लाए हैं कि 4 साल में कोई suitable candidate नहीं मिला। मंत्री जी, मैं आपको लिखित में भेजूंगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, मेरे पास इस देश के उन बड़े लोगों के नाम हैं, महिलाओं के, पुरुषों के, जिनके पास ज्ञान है, जिनका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जिन्होंने इन क्षेत्रों में काम किया है। उन्होंने 4 साल पहले apply किया था, लेकिन उनको टेलीफोन तक नहीं किया गया। Appointment की तो बात छोड़िए, interview तक के लिए नहीं बुलाया गया। इसलिए इसको किसी कमेटी में भेजा जाए या सरकार इसको वापस ले। मेरी मांग है कि इसको वापस लिया जाए। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश): महोदय, इस तरह का बिल लाना, जिनमें यह कह देना कि हम यह बिल इसलिए ला रहे हैं कि हम appointment नहीं कर सकते हैं, उचित नहीं है। आप यह मान रहे हैं कि आप 4 साल से appointment नहीं कर पाए हैं। आप यह बिल इसलिए ला रहे हैं, ताकि आप यह प्रावधान हटा दें और इसमें expert की जगह किसी बाबू को बैठा दें। आप पहले इस बिल को consideration के लिए भेजिए। आप इसे Select Committee या Standing Committee में भेजिए और उसकी रिपोर्ट आने के बाद आप इसको discuss करिए। अगर आपने इसे 4 साल तक नहीं किया, तो आप अपनी गलती मानिए और लोगों को बुलाइए। इसमें जो concerned लोग हैं, जो इसमें appoint हो सकते हैं, आप उनकी appointment करिए। इसके बाद आप इसे पेश करिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): राम गोपाल यादव जी, क्या आप इस बिल के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री विजय गोयल: वाइस-चेयरमैन सर, क्या यह बिल पर डिबेट हो रही है?

प्रो. राम गोपाल यादव: यह बिल के introduction के खिलाफ बात हो रही है।

श्री विजय गोयल: सर, जिन्होंने नाम दिए हैं, आप उनका नाम बुलाना शुरू करें।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): Business Advisory Committee का जो सुझाव था, अभी हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं।

श्री विजय गोयल: सर, ऐसा तो कभी नहीं होता है।

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, introduction की stage तो निकल गई, यह तो परसों introduce हो गया।

प्रो. राम गोपाल यादव: यह नहीं निकली। वह तो हो गया होगा, आपने अपने तरीके से कर दिया होगा।

श्री थावर चन्द गहलोत: अब तो इस पर विचार करने की बात है। इसलिए मैं पहले ही कुछ बोलना चाहता था, ताकि वस्तुस्थिति आपके सामने आ जाए, तो आप चर्चा में जो कुछ बिन्दु उठा रहे हैं, वे अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे, परन्तु मुझे आसंदी से कहा गया कि आप सब लोगों को सुन लीजिए, उसके बाद बताइए। मैं इसके बाद आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

प्रो. राम गोपाल यादव: चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह बहुत ही सीरियस मामला है, आनन्द शर्मा जी ने जो कहा कि इतने-इतने इम्पोर्ट लोगों ने इसके लिए एप्लाइ किया है, लेकिन उनको टेलीफोन तक नहीं किया गया और कहा यह गया कि कोई उपयुक्त आदमी नहीं मिला। हमारे 125 करोड़ जनसंख्या के देश में, चार साल में आपको एक आदमी भी नहीं मिला? नहीं मिला, तो कहीं अमरीका वगैरह से इम्पोर्ट कर लेते, वहां एक राज्य के बहुत से लोग रहते हैं, वहीं कोई बढ़िया व्यक्ति मिल जाता, उसी को एपॉइंट कर देते। या शायद आपको कोई suitable IAS नहीं मिल रहा होगा, तो कोई IAS रिटायर हो रहा होगा, जिसको आप एपॉइंट करना चाहते होंगे, इसके अलावा तो कोई और मंशा नहीं है, यह मंशा है। हमारा यह कहना है कि आप यह संशोधन तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति जनता से जुड़ा हुआ हो और जो इस क्षेत्र में काम कर रहा हो, वही आदमी इसमें होना चाहिए। आपकी मंशा मुझे ठीक नहीं लगती है, इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ।

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I question the very intent and the very content of this Bill. I endorse what Mr. Anand Sharma has said because in the last four years the Government could not find anyone suitable to head this Trust. India is a vast country. We have a large number of people suffering from multiple disabilities. In fact, one-third of Indians, I am told, are having some kind of mental illness. In such a situation, the Government should have been more sensitive, more sincere in taking up these issues. They waited for four years and they could not find one. Now they say that no suitable

[Shri D. Raja]

candidate was available. It is shameful. You ask any public sector institution and they will say that no suitable candidate is available. Isn't it a shame for a country like ours? Can't we find a suitable person to head this Trust? Mr. Nadda has gone away. He is the Health Minister. The Minister of Social Justice and Empowerment is here. I am sincerely asking them to defer this Bill and refer it to a Select Committee which will scrutinise it.

SHRI T. K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I am sorry to say that this Bill is not a correct one. They have wasted four years. Shri Anand Sharma has felt it. Prof. Ram Gopal Yadav, Shri Satish Chandra Misra, Shri D. Raja and all of us feel one thing. It shows the inefficiency of the Ministry. The Minister is a very good man. I know him. But it shows the inefficiency of the Government. The Government has failed here. Over and above that, you wanted to bring a Bill. I request the Chair to defer it and let them send it to a Select Committee.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Let me hear the Government.

श्री विजय गोयल: चेयरमैन सर, यह जो बिल पाननीय पंत्री, श्री थावर चन्द गहलोत जी ने रखा है, अगर आप इस बिल में जाएंगे, तो देखेंगे कि इसमें कुछ ज्यादा अपेंडमेंट्स नहीं हैं, जिन पर बहुत ज्यादा बहस करने या सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की जरूरत हो। ... (व्यवधान)... एक मिनट, पहले पुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। ... (व्यवधान)... अभी आप सब लोग यहां जो डिस्कशन कर रहे हैं, यह अपने आप में भी एक सेलेक्ट कमेटी ही है। हाउस में जिनसे मेम्बर्स हैं, वे सब इस बिल को यहां भी डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण पहले भी रहे हैं, जिनमें यह हुआ है। अगर हाउस चाहता है और हाउस की सहमति बनती है, तो यह जरूरी नहीं है कि हर बिल को सेलेक्ट कमेटी में ही भेजा जाए। इसमें पेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि पाननीय पंत्री जी इस बिल को एक्सप्लेन करेंगे और अगर आप इस बात को convinced हों कि हां, इस बिल को यहीं पारित किया जा सकता है, तो मैं सपझता हूं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा जाना चाहिए। इसमें सिर्फ इतनी सी ही बात है कि एक चेयरमैन की टर्प फिक्स की जा रही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ... (व्यवधान)...

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): अभी आपने कहा, 'अगर सहमति हो', लेकिन सहमति नहीं है। ... (व्यवधान)... आप अगला बिल लीजिए। ... (व्यवधान)...

آجناب غلام نبی آزاد : ابھی آپ نے کہا، 'اگر سہمتی ہو' لیکن سہمتی نہیں ہے۔
— (مداخلت)۔ آپ اگلا بل لیجیئے۔ — (مداخلت)۔

श्री विजय गोयल: सर, पेरा यह निवेदन है कि पहले भी ऐसा होता आया है कि हर बिल को सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा जाता है।

डा. के. केशव राव (आन्ध्र प्रदेश): सर, सवाल यह है, आपने Business Advisory Committee की बात की, लेकिन Business Advisory Committee में immediately भेजा जाए या नहीं भेजा जाए? आनन्द शर्मा जी हों या दूसरे लोग हों, सबका यही कहना है कि यह बहुत sensitive issue है, यह कोई ordinary issue नहीं है। यह one-hour में खत्म होने वाली डिबेट नहीं है, इसके लिए कम से कम three-hours का टाइम होना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? उन्होंने सिर्फ दो अमेंडमेंट्स के लिए नहीं बोला। उन्होंने इसीलिए बोला, because the very character of the Bill is such. It is a sensitive and emotive issue. उन्होंने इसके कारण बोला। आपने कह दिया 4 साल तक हमें candidate ही नहीं मिला है, तो has this nation become insensitive? Has this great country gone dead? There are regional level and national level institutions. आप जातने हैं कि हैदराबाद में 2 institutes हैं, which are nationally and internationally recognized institutes. मैं उस बात पर भी नहीं जाना चाहता हूं। Let me go into this. आपने introduce करने की कोशिश की। सर, मैं पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं कि introduction के level पर we have a right before we give leave to that. उस टाइम हम यह बताना चाह रहे थे कि यह एक sensitive issue है। आपका जो नोट है, उस नोट में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, जिनको देख कर हमें खुद हैरानी और परेशानी हो रही है। इसलिए, मैं यह बोलना चाहता हूं कि इसमें दो चीजें होती हैं, अगर यह आपका base of the Bill है, आपने जो हमें दिया है, Statement of Objects and Reasons, अगर वह उसका बेस है, तो इसको immediately Select Committee को भिजवा दीजिए या please take some more time to come out with something in respect of the Bill so that introduction के level पर हम भी आपसे agree हों।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): This is not introduction. It is consideration and passing, but before that I am allowing Shrimati Jharna Das Baidya and then the Minister. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती झरना दास बैद्य (त्रिपुरा): सर, जो Standing Committee on Social Justice and Empowerment है, उसमें हम सब जो मेम्बर्स हैं, उनमें से बहुत सारे यहां पर हैं। हम लोग भी इस बात को नहीं जानते, इस विषय में कोई discussion भी नहीं हुआ, तो कैसे ऐसा बिल लेकर आते हैं? ...*(व्यवधान)*... हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। उसमें छाया वर्मा जी मेम्बर हैं, विजिला सत्यानंत जी मेम्बर हैं और मैं भी मेम्बर हूं। इतने सारे मेम्बर्स हैं। हम लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं और यह बिल यहां आ गया। इस पर तो पहले स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन होना चाहिए, इसलिए आपको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Okay. Thank you. ...*(Interruptions)*... Now, Mr. Minister.

श्री थावर चन्द गहलोत: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए पहले कुछ बोलने का प्रयास कर रहा था, परन्तु आपने कहा कि पहले सुन लो और बाद में बोलो।

सर, जो अधिनियम 1999 बना और उसके रूल्स बने, वे रूल्स इतने कठोर थे कि अभी तक 4 बार कमेटीज़ ने विज्ञप्ति जारी करके आवेदन मंगवाए, लेकिन कोई भी योग्य candidate नहीं मिला।

[श्री थावर चन्द गहलोत]

...(व्यवधान)... सर, मेरी बात सुन लीजिए ...(व्यवधान)... सुन लीजिए। ...(व्यवधान)... 2006 में ...(व्यवधान)... मैं बता रहा हूँ। ...(व्यवधान)... सर, यह तो दिव्यांगजनों के साथ और इन वर्गों के साथ अन्याय होगा। अगर इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजेंगे, तो इसमें और विलम्ब होगा और चेयरमैन की नियुक्ति करने में दिक्कत आयेगी, इसलिए आप मेरी बात सुन लें। ...(व्यवधान)... मेरी बात सुन लें। ...(व्यवधान)... आप मेरी बात सुन लें और उसके बाद जो निर्णय करेगा, वह शिरोधार्य करूंगा। ...(व्यवधान)... आप पहले मेरी बात सुन लें, उसके बाद निर्णय हो जाएगा। ...(व्यवधान)... सदन जो निर्णय करेगा, हम उसको मान्य करेंगे। ...(व्यवधान)... आप सुनने को तैयार नहीं हैं। ...(व्यवधान)... सर, जो नियम बने थे, वे नियम बहुत कठोर थे। ...(व्यवधान)...

श्री मधुसूदन मिस्त्री (गुजरात): सर ...(व्यवधान)...

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, यह क्या है? ...(व्यवधान)... मिस्त्री साहब, प्लीज़। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): मंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, 2006 में श्रीमती पूनम नटराजन की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। अवधि 3 साल की थी। परन्तु नियम में यह शर्त थी कि जब तक उनका कोई successor नहीं होगा, तब तक वह पद पर बनी रहेंगी। 2012 में, जब सामने बैठे हुए मेरे माननीय और आदरणीय सदस्यगण की सरकार थी और वे सरकार में थे, उस समय विज्ञप्ति जारी हुई थी। विज्ञप्ति जारी करने में और Selection Committee में Planning Commission के कोई सदस्य चेयरमैन होते हैं। 2012 में एक कमेटी गठित हुई। उसने विज्ञप्ति जारी की, लेकिन कोई योग्य candidate नहीं मिला।

(श्री सभापति महोदय पीठासीन हुए)

उसके बाद 2013 में फिर, आजकल माननीय नरेन्द्र मोदी जी जो हैं, वे Planning Commission के सदस्य थे, उनकी अध्यक्षता में 5 लोगों की कमेटी बनी थी। उन्होंने चयन प्रक्रिया की थी, विज्ञप्ति जारी की थी, परन्तु कोई योग्य candidate नहीं मिला था। हमने भी 2015 में डा. पतंजल, Chancellor की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर विज्ञप्ति जारी कराई और प्रयास किया लेकिन कोई योग्य candidate हमें नहीं मिला। वर्ष 2016 में भी कमेटी बनाई गई, विज्ञप्ति जारी हुई लेकिन फिर कोई Candidate नहीं मिला। इसके प्रमुख कारण मैं यहां निवेदन करने जा रहा हूँ, आप सुन लें। हमने उन कारणों को सरल किया है। पहले नियमों में जो कठोरता थी, उनमें अब सरलता लाने का काम किया है। अब अगर विज्ञप्ति जारी होगी तो यह काम हो जाएगा। नियमों में संशोधन करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए हमने ऐसा किया परन्तु एक संशोधन संसद की सहमति के बिना नहीं हो सकता, जिसके लिए वर्तमान विधेयक हम सदन के सामने लाए हैं।

पहले नियम था कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या शिक्षा का मनोविज्ञान या समाजकार्य में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए या निम्नलिखित अहर्ताओं में से किसी विषय के साथ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी अन्य विषय में वह स्नातकोत्तर होना चाहिए। एक या उससे अधिक विकलांगता, मंदता, स्वलीनता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगताओं में स्नातकोत्तर होना चाहिए। एक या उससे अधिक दिव्यांगताओं, मंदता, स्वलीनता, ये वर्ग हैं जिनमें से

किसी में स्नातक होना चाहिए। फिर एक या उससे अधिक दिव्यांगता, नामता, स्वलीनता आदि में भी डिप्लोमा होना चाहिए। विख्यात व्यावसायिक पत्रिकाओं में शोधपत्रों के प्रकाशन को अर्हता के रूप में माना जाएगा। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please. ...**(Interruptions)**... सुनिए। उस पर चर्चा करेंगे।

श्री थावर चन्द गहलोत: हमने अब इसमें संशोधन कर दिया है। सबसे बड़ा संशोधन जो नियमों में हमने किया, पहले यह था कि दिव्यांगता क्षेत्र में न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, जिसमें उसे स्वलीनता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मानसिक मंदता, बहु-दिव्यांगता के क्षेत्र में 10 वर्ष से कम का अनुभव नहीं हो। अब हमने इसमें संशोधन कर दिया और दिव्यांगता के क्षेत्र में 15 वर्ष की बजाय, 10 वर्ष का अनुभव कर दिया, फिर स्वलीनता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मानसिक मंदता बहु-दिव्यांगताओं के क्षेत्र में 7 वर्ष कर दिया। पहले इसमें कई कठोर शर्तें थीं, जिनके कारण हमें योग्य candidate नहीं मिला। दो बार यूपीए की सरकार ने भी विज्ञप्ति जारी की। आपने यहां सीधे कह दिया कि 4 साल में हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आप अपने समय में क्यों नहीं कर पाए? 2006 से लेकर 2014 तक आपने क्यों नहीं किया, जबकि 8 साल का समय आपके पास था। हमारे पास तो 3 साल की अवधि थी। ...**(व्यवधान)**... मुझे पूरी बात कहने दीजिए।

श्री आनन्द शर्मा: मेरा एक निवेदन है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: मंत्री जी को पहले पूरा करने दीजिए। ...**(व्यवधान)**... मैं आपको मौका दूंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: मुझे पहले पूरी बात कहने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI ANAND SHARMA: Amending the Rule and amending the Act are two different issues. ...**(Interruptions)**...

MR. CHAIRMAN: आनन्द शर्मा जी, उनको पूरी बात कहने दीजिए। ...**(व्यवधान)**... Anand Sharmaji, please. ...**(Interruptions)**... He has to yield. ...**(Interruptions)**... Please. ...**(Interruptions)**... इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ...**(व्यवधान)**... मैं आपको मौका दूंगा। ...**(व्यवधान)**... ऐसे बीच में नहीं। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: यहां मेरे बारे में कहा गया। ...**(व्यवधान)**... इतने सक्षम मंत्री, ...**(व्यवधान)**... 4 साल तक क्या करते रहे?

SHRI ANAND SHARMA: He has to yield but he cannot say that. ...**(Interruptions)**...

MR. CHAIRMAN: I am just coming to you. ...**(Interruptions)**... We will patiently hear and then sort out the issue not itself. ...**(Interruptions)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: मैं पूछना चाहता हूं कि 2006 से 2014 तक आपने क्या किया? ...**(व्यवधान)**... यदि इसी प्रकार के वाद-विवाद चलाएंगे तो मुझे कहना ही पड़ेगा।

MR. CHAIRMAN: I am here. We will sort out the issue. ...*(Interruptions)*...

श्री थावर चन्द गहलोत: इस सरकार ने दिव्यांगता के क्षेत्र में ...*(व्यवधान)*... एक world record बनाया है। आपने कुछ नहीं किया था। ...*(व्यवधान)*...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, there is a ...*(Interruptions)*...

श्री थावर चन्द गहलोत: अगर मैं उन सबकी जानकारी देना शुरू करूं तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इसे सर्वसम्मति से पास करना चाहिए।

इसमें एक संशोधन हमने और किया है - सवलीनता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मानसिक मंदता, बहु-दिव्यांगता के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक कार्यरत रहते हुए, गैर-सरकारी संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष, सभापति, महा-सचिव के रूप में उसे प्रशासनिक अनुभव 3 वर्षों से कम न हो। प्रशासनिक अनुभव में कोई परिवर्तन हमने प्रस्तावित नहीं किया है। ...*(व्यवधान)*... एक प्रावधान यह भी था कि उसकी आयु 45 साल और 65 साल के बीच होनी चाहिए। हम ढूँढ़-ढूँढ़कर परेशान हो गए। आप भी 8 साल तक नहीं ढूँढ़ पाए। अगर हमने 4 साल में प्रयास किया और सफलता नहीं मिली, इसे देखते हुए ही हमने नियमों में संशोधन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि एकट में संशोधन होने के बाद जो पहले शर्त थी कि 3 साल की कार्यवधि पूरी होने पर भी, अगर उसके उत्तराधिकारी का चयन हम नहीं कर पाए, तो वे अपने पद पर बनी रहेंगी या जब तक वे इस्तीफा नहीं देतीं; वे बनी रहेंगी या बना रहेगा। उसमें एक और दिक्कत थी कि अगर वह इस्तीफा भी दे दे और हम इस्तीफा स्वीकार भी कर लें लेकिन उत्तराधिकारी का चयन न हो तो भी वे ही बनी रहेंगी या रहेगा। ये ऐसी शर्तें थीं जिनके कारण हम चयन नहीं कर पाए। अब इन दोनों शर्तों को हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। हम इन दोनों शर्तों को ठीक करने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि अब हम अगली कमेटी बना कर विज्ञप्ति जारी करेंगे और चेयरमैन तथा सदस्यों की नियुक्ति करने में सफलता प्राप्त करेंगे, इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि आप इस बिल को पास करने की कृपा करें।

श्री सभापति: मुझे समझने में कुछ समय लगा, क्योंकि मैं वाशरूम के लिए गया था। देखिए, यह विषय इस सदन में 18 तारीख को आया था, इसी 18 तारीख को आया था। जब यह विषय इस सदन में आया था, तब उस समय आनन्द शर्मा जी ने कहा, "I just want to make a request to the Government that this is a very, very important Amendment Bill. There are large number of people who are affected with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities. I am sure that the House will have one view and will be together if this is taken up in this Session. If the Government is agreeable since this is only an Amendment Bill to National Trust Act which is already in existence, then, we should pass it and we seek your nod, Mr. Chairman." I was there and I too agree. "I hope the Government is also serious. इसी सेशन में इस बिल को पारित करना है।" मेरा सुझाव यह है कि आज हम इसको डेफर करेंगे और आप लोग आपस में बैठ कर sort out कीजिए। ...*(व्यवधान)*... मैं सबको सुनूंगा। इसका solution ढूँढ़ना है। आपके जमाने में यह हुआ, मेरे जमाने में यह नहीं हुआ, इस

तरह से करने से अंत में लोगों के बीच गलत मैसेज जाएगा। ऐसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामले में ये लोग आपस में झगड़ रहे हैं, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, इसलिए मेरा यह कहना है। एमओएस ने आज सुबह भी यह इश्यू उठाया, जब यह विषय बीएसी में आया, तब भी सबने स्वीकार किया, तभी यह आया। अभी कुछ नए प्वाइंट्स आए हैं। ...*(व्यवधान)*...

श्री विजय गोयल: सबने यह कहा कि इसको नंबर एक पर लगा दीजिए।

श्री सभापति: सबने यह कहा और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। मेरा कहना यह है कि इसमें जो विवाद है, चाहे वह जिस भी कारण से हो, एक-दो दिन में आपस में चर्चा करके उसको sort out करके फिर वापस आ सकते हैं। Yes, Shri Derek O'Brien. What do you want to say?

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, actually-while you took a little break-all the Opposition Members spoke, and I haven't spoken. So, everyone has expressed themselves. There is an issue here about the quality of the person who will be appointed. That is the issue. I don't think that anyone in the Opposition here is suggesting that the post be left vacant. Nobody is suggesting that. The issue is, do we have a professional who understands this issue? That is all. I don't think anyone here...

MR. CHAIRMAN: Now, Satishji. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, one second. What has caused concern is that if the Minister has changed the rules of the Bill then he should be congratulated that he changed the rules of the Bill, but, the rules and not the Act itself. And, what caused a little concern, since I was sitting here, is that we are doing legislation not for one person or two persons because the name of some person who was sitting....

MR. CHAIRMAN: Right, I got your point. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, in the spirit of what you have suggested may I, with you permission, through you, suggest to the House that this is an issue which can be resolved? There are just those two issues that we all want a qualified professional who is there and after that we can sit together and pass this Bill after through a Select Committee.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Satish Chandra Misra. चूंकि यह थोड़ा संवेदनशील मामला है, इसलिए शांति से करना है।

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: This issue with respect to handicaps is a personal issue for me as I have been working with them for the last thirty years. And, there is this only university in the world now in Lucknow, and which is in my mother's

[Shri Satish Chandra Misra]

name, Late Dr. Shakuntala Misra, for handicaps. I am a regular visitor, whenever I am in Lucknow I visit that university also and work with them. My only anxiety is that if it goes to some *Babu* or some officer or someone else, then, they will not be able to function and look after them. So, if you have amended the rules, I congratulate you for that that you have eased the rules and, now, you are saying, on the floor of the House, that you will be able to make selection. Then, I would like to say to you to make the selection and why you are making an amendment which says that if the selection is not done then it will go to some officer and he will take over. Therefore, the hon. Minister should consider this.

MR. CHAIRMAN: Now, Prof. Ram Gopal Yadav.

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, आपने अभी जो कहा कि इससे गलत संदेश जाएगा, संदेश ठीक जाने के लिए मैं बिल के संबंध में नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, हमारे यहां ये परंपरा है, 'आदरार्थे बहुवचन', आदर के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, मंत्री जी बार-बार कह रहे थे कि वह महिला इतने दिनों बनी रही, जबकि 'इतने दिनों बनी रही' बोलना गलत है, उसको सही करवाइए। 'इतने दिनों बनी रही' की जगह 'इतने दिनों बनी रहीं', कहना चाहिए, इससे संदेश गलत जाता है।

श्री सभापति: ठीक है। श्री आनन्द शर्मा जी, आप बताइए कि इसका way out क्या है?

श्री आनन्द शर्मा: सभापति महोदय, इसमें नियमों में संशोधन कर दिया गया है। मैं यह पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह विषय संवेदनशील है, जैसा मैंने और मिश्रा जी ने भी कहा और यह हमारे हृदय के बड़ा करीब है। मंत्री जी, मैंने आपकी प्रशंसा की और आज भी सरकार के बारे में कोई आलोचना नहीं की। उस समय भी जब आप यह 'Right of Persons with Disabilities' का बिल लेकर आए थे, आपको याद होगा कि उस समय सारे सदन ने एक आवाज में बात की थी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने नियमों में सुधार किया, जिससे आपको चेयरमैन को बनाने में, बोर्ड्स के मेम्बर्स बनाने में आसानी होगी। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अभी आप जो संशोधन लाए हैं, वह स्वीकार्य नहीं है, इसलिए कृपया करके आप इसे रोक लें। हम नहीं चाहते कि देश में...

श्री सभापति: मंत्री जी।

श्री आनन्द शर्मा: सर, मैं आपसे बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं कि आप कृपया इसका Statement of Objects पढ़िए। इन्होंने कहा कि इस देश में कोई भी suitable आदमी नहीं मिला। इस पर जो मैंने पहले दिन कहा था...

श्री सभापति: आप सोल्यूशन बताइए।

श्री आनन्द शर्मा: सर, मैं एक मिनट और लूंगा, क्योंकि आपने यह बताया कि मैंने पहले दिन क्या कहा। उसके बाद जब मैंने सभी लोगों से बातचीत की, मेरी सुबह मंत्री जी से भी बात हुई, तो मेरे पास जानकारी आई है, मैं आपको वे सभी नाम दे दूंगा, जिन्होंने इसके लिए एप्लाइ किया और वे भारत

के बड़े नाम हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनको टेलिफोन कॉल तक नहीं गई, interview तक नहीं लिया गया, वे qualified लोग थे। अगर ये कहते हैं कि नियम आ गए हैं, मैं इस पर बहस में नहीं जाना जाता। आपने नियम सरल कर दिए हैं, तो अब इसमें बैठकर आम सहमति बना लें, जैसा कि आपने कहा है। उसके बाद इस बिल को लाएं।

श्री थावर चन्द गहलोत: सभापति महोदय, सदन जो निर्णय करेगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा। मैं अगर...

श्री सभापति: आप अगर-मगर छोड़ दीजिए।

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, माननीय सांसद ने जो कुछ कहा है, मैं उससे सहमत हूँ, परंतु मेरे बारे में कहा था कि चार साल में कुछ नहीं किया ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: यह हो गया है। ...(व्यवधान)...

श्री थावर चन्द गहलोत: मैंने इसलिए इतनी जानकारी दी और जवाब दिया, वरना मैं इतनी जानकारी और जवाब देने की आवश्यकता भी महसूस नहीं करता। मैं एक और बिन्दु पर जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि यह आ रहा है कि बिल में संशोधन कर रहे हैं, उसमें किसी appropriate व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी लेवल का equivalent व्यक्ति ही बन जाएगा। ...(व्यवधान) यह नियम में है। वह भी रिटायर्ड नहीं, वर्तमान में सेक्रेटरी ही बन जाएगा। ...(व्यवधान) आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप प्लीज सुनिए। ...(व्यवधान) Be fair. Let him explain. We are not deciding.

श्री थावर चन्द गहलोत: मुझे जानकारी देने दीजिए। आप कह रहे हैं कि किसी को भी नियुक्त कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके बारे में नियमों में यह प्रावधान है कि सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होगा और वह भी पदेन होगा। जब श्रीमती पूनम नटराजन ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आपको details में जाने की जरूरत नहीं है।

श्री थावर चन्द गहलोत: मैं कहना चाहता हूँ कि श्रीमती पूनम नटराजन जब इस पद से पदमुक्त हुईं, बाद में श्री पी.के. पिंचा जी, जो टोटली ब्लाइंड थे, चेयरमैन बने, फिर श्रुति कक्कड़ सेक्रेटरी बनीं।

श्री सभापति: आप लोग एक दिन आपस में बैठकर सोल्यूशन निकालिए और सदन में लाइए। इसको temporary pending रखने की मेरी अनुमति है। अब आगे बढ़िए। Out of all the Ministers, he is the most patient Minister, to my Knowledge. I do not know what happened today. He is very knowledgeable and very committed for social welfare also. ...(Interruptions)...

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: So much of stress that he may not be patient to ...(Interruptions)...

4.00 P.M.

MR. CHAIRMAN: That may be the reason. You all made him impatient. ...*(Interruptions)*... Now, the Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2018.

The Negotiable Instrument (Amendment) Bill, 2018

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

"कि लोक सभा द्वारा पारित 'Negotiable Instruments (Amendment) Bill', 2018, पर विचार किया जाए।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए समय-समय पर 'Negotiable Instruments Act, 1881' में अनेक संशोधन किए गए हैं। फिर भी चेक अनादर के लंबित मामलों के परिणामस्वरूप चेक प्राप्तकर्ता के साथ जो अन्याय होता है, उस अन्याय के समाधान के लिए सरकार को लोगों के तथा व्यापारी वर्ग के representations प्राप्त होते रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... If you want to sit with your leader, you can sit. No problem. ...*(Interruptions)*...

श्री शिव प्रताप शुक्ला: मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे representations का विषय बाउंस हुए चेकों के जारीकर्ता द्वारा अपील दर्ज कराने की स्थिति में कार्यवाहियों का स्थगन प्राप्त करने के आसान प्रक्रियाओं के कारण अपनाई जाने वाली जो आसान युक्तियां थीं, चेक के प्राप्तकर्ता को उसका मूल्य नहीं मिल पाता था, न्यायालयों की कार्यवाहियों में पर्याप्त समय और संसाधन लगाने पड़ते थे। प्रस्तुत विधेयक को सदन में इसलिए लाया गया है, ताकि चेक प्राप्तकर्ता को कठिनाइयों से न गुजरना पड़े, जल्दी से जल्दी उसको चेक की रकम प्राप्त हो सके और चेक की विश्वसनीयता कायम रहे।

मान्यवर, Negotiable Instrument Act, 1881 में एक नई धारा 143A का समावेश किया गया है, जिससे धारा 138 के अंतर्गत अपराध की सुनवाई करने वाले न्यायालयों को चेक जारीकर्ता को निर्देश देने का अधिकार इसलिए दिया गया है, ताकि शिकायतकर्ता को चेक की राशि, वह जितनी भी हो, उसका 20 परसेंट अंतरिम भुगतान किया जा सके। मान्यवर, चेक जारीकर्ता को आदेश की तारीख के 60 दिन के अंदर अंतरिम मुआवजे का भुगतान हो, जिसे 30 दिन तक और अधिक बढ़ाया जा सकता है, उससे अधिक लंबित नहीं किया जा सकता है। यदि चेक जारीकर्ता को दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो अदालत शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजे के रूप में किए गए भुगतान को भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, आरबीआई द्वारा प्रकाशित वित्तीय वर्ष के आरम्भ में प्रचलित बैंक दर पर ब्याज सहित देने का निर्देश देती है।

मान्यवर, Negotiable Instrument Act, 1881 में एक नई धारा, 148 का समावेशन किया गया था। इसके अंतर्गत अपीली न्यायालयों को अपीलकर्ताओं को ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित दंड अथवा